



**कार्यालय:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलरामपुर स्थान-रामानुजगंज**  
**जिला-बलरामपुर (छ0ग0)**  
**E-mail-dlsaramanujganj@gmail.com Phone No.-07779-299003**

-विज्ञापन:-

क्रमांक ४१ /जि.वि.से.प्रा.(LADCS) /2025

रामानुजगंज, दिनांक 24.01.2025

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 07.02.2025 संध्या 05.00 बजे तक


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलरामपुर स्थान-रामानुजगंज छ0ग0 के कार्यालय में आवेदन स्वयं उपस्थित होकर अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जमा किया जा सकेगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलरामपुर स्थान-रामानुजगंज छ0ग0 के अंतर्गत लीगल एड डिफेंस कॉसिल कार्यालय हेतु कार्यालय सहायक/कलर्क एवं कार्यालय भूत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) के निम्न रिक्त पदों पर संविदालम्बक भर्ती हेतु अहता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र.	रिक्त पद	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित जनजाति												अनारक्षित पद							
			अनुसूचित जाति						अनुसूचित जनजाति						अन्य ग्रिहित पर्याय			सामाजिक				
			मुख्य	माझेल	दिवारी	मूर्ख	सेनिक	नुक्त	गाँड़	दिवारी	मूर्ख	सेनिक	मुख्य	माझेल	दिवारी	मूर्ख	सेनिक	दुक्त	माझेला	दिवारी	मूर्ख	सेनिक
1.	कार्यालय सहायक/कलर्क	३२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०२	०	०	०	०
2.	कार्यालय भूत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)	३२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०२	०	०	०	०
	चोन	०४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०४	०	०	०	०

**टीप:- क.** परीक्षा तिथि पर अन्य कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर स्थान-रामानुजगंज के पास सुरक्षित रहेगा।

**ख.** संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा नियुक्ति दिनांक से 01 वर्ष की अवधि के लिये ही है। नियुक्ति किये गये स्टाफ की उपस्थिति कार्यप्रणाली संतोषप्रद व्यवहारिक एवं व्यवस्थित होने तथा नालसा के निर्देशानुसार कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है अथवा संतोषनजक कार्य नहीं पाये जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त को जा सकती है।



ग. उत्तीर्णगढ़ शासन द्वारा वर्तमान में संविदा कर्मचारियों के लिये सेवा शर्तों के लिए निर्धारित परिपत्र/नियम/शर्तों के प्रावधानों के अधीन शासित होंगे।

### 1. भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

(1) कार्यालय सहायक/कलर्क पद के लिये—

अ— वर्तमान वलास—बी:—संविदा एकमुश्त 17,000/- रु. मासिक)

ब— शैक्षणिक योग्यता—

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। (Educational qualification : Graduation)

2. बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कम्प्यूटर संचालित करने की क्षमता और डेटा फीड करने का कौशल होना चाहिये। (Basic word processing skills and the ability to operate computer and skills to feed data.)

3. पेपर की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग गति की दक्षता होनी आवश्यक है। (Good typing speed with proper setting of petition.)

4. श्रुतलेख लेने और न्यायालयों में प्रस्तुति के लिए फाइलें तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। (Ability to take dictation and prepare files for presentation in the courts.)

5. फाइल रखरखाव और प्रसंस्करण का ज्ञान होना चाहिए। (File maintenance and processing knowledge.)

(2) कार्यालय भूत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) पद के लिये —

अ— वर्तमान वलास—बी:— संविदा एकमुश्त 10,000/- रु. मासिक)

ब— शैक्षणिक योग्यता—

किसी मान्यता बोर्ड से कक्षा पाँचवीं परीक्षा उत्तीर्ण हो।

### 2. आयु एवं पात्रता

(कार्यालय सहायक/कलर्क एवं कार्यालय भूत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)

(1) रोजगार कार्यालय में पंजीयन जीवित हो (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)

(अ)— कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के पात्र नहीं होगा।

- (ब) कोई पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हैं और कोई भी महिला उम्मदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परंतु यदि शासन को इस बात का समाधान हो जाये कि ऐसवा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
- (2) उम्मीदवार दिनांक 01.01.2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, परंतु 35 वर्ष से अधिक न हो। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट की अवधि कैलेप्डर वर्ष 2025 की समाप्ति तक के लिये प्रदान की गई है।
- (3) किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्य के आवेदकों के लिये अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।
- (4) आवेदक किसी शासकीय या वैदानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।

### 3. उच्चतर आयु सीमा में छूट

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी—

- 3(एक) (1)— यदि अभ्यर्थी छ0ग0 शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- 3(एग) (2)— छ0ग0 शासन स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी, पेड कर्मचारियों तथा छ0ग0 राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।
- 3(एक) (3)— ऐसे अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष की कालावधि, भले ही कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के अनुज्ञात किया जायेगा परन्तु उसके परिणाम स्वरूप आयु सीमा 03 वर्ष से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण:-** छंटनी किये गये शासकीय सेवक से तात्पर्य हैं जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 08 माह तक रहा हो तथा किसी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना में कसी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।



- 3(एक) (4)– ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप में आये निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।
- 3(एक) (5)– महिलाओं के लिए आयु में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी, जो उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।
- 3(एक) (6)– शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 06 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।
- 3(एक) (7)– विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।
- 3(एक) (8)– स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उत्तरी कालावधि तक छूट 08 वर्ष की सीमा में अध्यधीन रहते हुये दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
- 3(एक) (9)– संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 43 वर्ष की आयु सीमा तक होगी।
- 3(एक) (10)– शारीरिक रूप से अक्षम सेवा योग्य (दृष्टिहीन, श्रवणबाधित तथा अस्थिबाधित के उम्मीदवारों) व्यक्तियों के लिये 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- 3(दो) (1)– आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्राजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण सहभागी को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

**नोट:-** आयु सीमा में छूट हेतु सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

- 3(दो) (2)– विकम पुरस्कार प्राप्त सम्मानित खिलाड़ियों एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं प्रचलित शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।



- टीप:- (1)- बिन्दु कमांक-3 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।
- (2)- बिन्दु कमांक-3 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा को सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक प्रकार (प्रोत्साहन वाले) के लिये दो छूट बिन्दु कमांक-03 में दी गयी विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

**उदाहरण:-** यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ-साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 05 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

- (3) उपरोक्त 3 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

**नोट :-** अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आयु सीमा छूट एवं नियोग्यता सामान्य प्रशासन विभाग (छोगो शासन) द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश अनुसार भी लागू रहेगा।

#### 4. आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

(1) विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्णतः साफ सुथरा भरे हुए बंद लिफाफे में जिसके उपर आवेदित पद का नाम भोटे अक्षरों में उल्लेखित हो, को कार्यालय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलरामपुर स्थान—रामानुजगंज में स्वयं उपस्थित होकर अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से दिनांक 07.02.2025 की संध्या 05:00 बजे तक जमा किया जा सकता है।

(2) आवेदन पत्र के साथ जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र (शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत शासकीय सेवकों को छोड़कर) की अभिप्रमाणित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(3) अभ्यर्थी को एक से अधिक पद के लिये आवेदन हेतु पृथक—पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

#### 5. नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया

कार्यालय सहायक/कर्ल्क के पद हेतु:-

प्रथम चरण : लिखित परीक्षा

आवेदकों की संख्या अधिक होने पर नियोक्ता के विवेकाधीन एक लिखित रूपतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा सकेगी, जिसमें 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसके सभी 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का एक-एक अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के चार विकल्प दिये जावेंगे, जिनमें से सही उत्तर पर ही (✓) का चिन्ह नीले अथवा काले बॉल प्वाइंट पेन से अंकित करना होगा।

**नोट:-** अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक विकल्प पर ही सही (✓) चिन्ह अंकित करना होगा। सही (✓) चिन्ह को (✓) लगाकर पुनः दूसरे विकल्प पर सही (✓) का निशान लगाने से उत्तर सही होने पर भी गलत उत्तर माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा सही (✓) चिन्ह के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का निशान अंकित करने पर भी उत्तर सही होने पर गलत माना जावेगा।

उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित एवं समसामयिक विषयों के अंतर्गत होंगे, उक्त परीक्षा की अवधि केवल 01 घंटे की होगी। उक्त लिखित परीक्षा के मेरिट के आधार पर एक पर पर 10 के अनुपात में आवेदकों का चयन प्रक्रिया के आगले चरण हेतु बुलाया जा सकेगा।

### द्वितीय चरण : कौशल परीक्षा

**1. कार्यालय सहायक / कलर्क हेतु:-** कौशल परीक्षा 250 अंकों की होगी। उमीदवारों को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 05 मिनट का हिन्दी श्रृंखलेख दिया जावेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 45 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कम्प्यूटर पर उबन्टू ओपन सोर्स ऑफिस रिस्टर्म के लिंबे ऑफिस में टाईप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिये 1/5 अंक काटा जावेगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईपिंग की प्रत्येक अशुद्धि के लिये होगा।

**मेरिट सूची :-** कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही वर्गीय मेरिट सूची तैयार की जावेगी। साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उसे प्राथमिकता दी जावेगी। यदि दोनों अभ्यर्थी की जन्मतिथि समान होगी तो स्नातक में अधिक अंक प्राप्त करने वाले का प्राथमिकता दी जावेगी। यदि दोनों अभ्यर्थी की स्नातक में भी समान अंक होने पर स्नातकोत्तर के प्राप्तांक, स्नातकोत्तर नहीं होने पर कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगा।

**चयन प्रक्रिया :-** कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को मिलाकर वरीयता सूची तैयार की जावेगी, जिसमें वरीयता के आधार पर सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जावेगा। चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उसे प्राथमिकता दी जावेगी। यदि दोनों अभ्यर्थी की जन्मतिथि समान होगी तो कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी।

कार्यालय भूत्य (मुर्शी/अटेन्डेंट) के (संविदा) पद हेतु :-



प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर पात्र पाए गये अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा। साक्षात्कार कुल 50 अंक का होगा।

साक्षात्कार उपरांत अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मातिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम आयेगा, उसे प्राथमिकता दी जावेगी।

“परीक्षा एक दिवस में समाप्त नहीं होने पर आगामी तिथि को भी लिया जावेगा।”

### 6. अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी

प्रत्येक आवेदक को चाहिये, कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी के साथ भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र को चयन के किसी भी स्तर पर निरस्ता किया जा सकेगा।

पदों हेतु निर्धारित योग्यता विज्ञापन तिथि तक पूर्ण होने चाहिये।

### 7. अन्य आवश्यक सूचनाएं

- (ए)- नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया निर्धारित करने एवं किसी भी स्तर पर आवश्यक संशोधन करने का अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर रथान-रामानुजगंज को होगा।
- (बी)- उपरोक्त पदों पर भेरिट सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिये वैध होगी।
- (सी)- प्रत्येक पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जावेगी, तथा कार्यालय के वेबसाइट <https://balrampur.dcourts.gov.in/> में भी अपलोड किया जावेगा। दावा आपत्ति निर्धारित तिथि के शाम 05:00 बजे तक प्राप्त की जावेगी, तत्पश्चात् किसी भी दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।
- (डी)- परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीखा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपरिथित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा आगामी तिथि निर्धारित कर एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।
- नोट:- पात्र अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र कार्यालय के वेबसाइट के अलावा अन्य किसी भी माध्यम से नहीं भेजा जावेगा। अतः अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे कार्यालय के वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहें।



(इ)– प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित अभिलेख आंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे। उक्त भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी को भी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्रदान नहीं की जायेगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत केवल 03 माह तक ही सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत् जानकारी प्रदान की जायेगी।

स्थान:— रामानुजगंज

दिनांक:— 24.01.2025

अध्यक्ष  
चयन समिति  
कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
बलरामपुर स्थान—रामानुजगंज (छ.ग.)

अध्यक्ष  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.)

**आवेदन—पत्र का प्रारूप**  
**कार्यालय सहायक / कलर्क, रिसोर्स निस्ट—सह—डेटा एंट्री ऑपरेटर (टाइपिस्ट),**  
**कार्यालय भूत्य (मुंशी / अटेन्डेंट)**  
**(संविदा) कर्मचारियों के पद पर नियुक्ति हेतु)**

नवीनतान पालमोर्ट  
ज्ञाकार का फोटो  
धर्मा कर रख  
प्रमाणित करें।

प्रति,

कार्यालय जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
बलरामपुर स्थान—रामानुजगंज (छोगो)

1. आवेदित पद का नाम :—
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में)  
(अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में)
3. लिंग (संकेतांक) पुरुष—1, महिला—2, अन्य—3
4. पिता/पति का नाम
5. (अ) पत्र व्यवहार का पता (हिन्दी में)  
  
(ब) स्थायी पता  
(यदि पत्र व्यवहार का पता एवं स्थायी  
पता एक ही हो तो तदेव लिखें)  
  
(ग) जन्म तिथि (अंकों में)
6. (अ) जन्म तिथि (अंकों में)  
शब्दों में
7. (ब) दिनांक 01.01.2023 को आयु वर्ष  माह  दिन
7. क्या अभ्यर्थी छ.ग. राज्य का मूल निवासी है?

हाँ / नहीं (समझ शब्दिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण  
पत्र की सत्यापित प्रति चलाग्न करें)

8. क्या अभ्यर्थी छ.ग. शासन द्वारा छ.ग. के  
लिये घोषित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति  
/ अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हाँ / नहीं  
(यदि हाँ, तो संबंध अधिकारी द्वारा जारी स्थायी  
जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति चलाग्न करें)